(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 579–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–1–17 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा प्रकरण कमांक 46/14–15/अपील.

1– रणजीत सिंह पुत्र स्व. अजमेर सिंह
2– दीपक पुत्र स्व. अजमेर सिंह
3– श्रीमती अनीता पत्नी स्व. अजमेर सिंह
4– श्रीमती नीतू पुत्री स्व. अजमेर सिंह
निवासीगण ग्राम भैंसनारी
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती रजेश पत्नी चरण सिंह
निवासी ग्राम भगावली
तहसील सेवडा जिला दतिया
2– श्रीमती अंजू पत्नी रामवीर सिंह
निवासी घुरैया वसैई
तहसील व जिला मुरैना .....अनावेदकगण

श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/8/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, डबरा के आदेश दिनांक 8–9–14 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 25–6–15 को लगभग 8 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई, और विलम्ब

क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–1–17 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को तहसीलदार के आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है, इसके बावजूद उनके द्वारा अपील समय बाह्य प्रस्तुत की गई थी, जिसे समय–सीमा में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र किस दिनांक को दिया गया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है, और न ही आवक नम्बर दर्शाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि आवेदक कमांक 3 व 4 को अपील प्रस्तुत करते समय पक्षकार नहीं बनाया गया था, और बाद में पक्षकार बनाया गया है, अतः अनावेदकगण को अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरांत पक्षकार बनाये जाने में हुए विलम्ब को किसी प्रकार से क्षमा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य थी । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने के सम्बन्ध में सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाते हुए कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है, जबकि वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थे, अतः अनावेदकगण द्वारा जानकारी के दिनांक से अपील समय–सीमा में प्रस्तुत की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण समय–सीमा जैसे तकनीकी आधार पर नहीं कर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए, कारण प्रकरण में बहुत ही अल्प समय का विलम्ब हुआ है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय

द्वारा अनावेदिकागण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है, जबकि अनावेदिकागण स्व. अजमेर सिंह की पहली पत्नी की संतानें है, इसलिए उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था । चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिकागण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–17 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर